न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – राम निवास मेहता

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
23 / 2024	02.04.2024	10.01.2025

1. शिला बाई पुत्री गोपाल जाति पटवा निवासी खातोली तह० पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2 शांति जंगम पुत्री गोपाल जाति पटवा निवासी खातोली तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

उपस्थित वादीगण अधिवक्ता :– श्री कमल कुमार बंसल

निर्णय

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में वाद इस प्रकार है कि ग्राम गोरधनपुरा पटवार हल्का खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 237 रकबा 2.77 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.77 है0 कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र मे विवादित भूमि से संबोधित की गई है। जिसे आगे वाद पत्र मे विवादित भूमि से संबोधित की गई है।

यह कि उक्त भूमि वादीगण की कदीमी पैतृक भूमि है। वादी क्रम 1 का नाम शिला बाई है व वादी क्रम 2 का नाम शांति जंगम है तथा वादीगण के पिता का नाम गोपाल है। किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्राम गोरधनपुरा पटवार हल्का खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 237 रकबा 2.77 है.. कुल कित्ता 1 कुल रकबा 2.77 है0 कृषि भूमि स्थित है मे वादी क्रम 1 का नाम शिला बाई पुत्री गोपाल के स्थान पर धापू पुत्री गोपाल तथा वादी क्रम 2 का नाम शांति जंगम पुत्री गोपाल के स्थान पर संतोष पुत्री गोपाल अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से दुरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अन्य शासकीय दस्तावेजों में वादी क्रम 1 का नाम शिला बाई व वादी क्रम 2 का नाम शांति जंगम ही अंकित है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसे परिशुद्ध किया जाकर विवादित

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

भूमि के राजस्व अभिलेख मे वादी क्रम 1 का नाम धापू पुत्री गोपाल के स्थान पर शिला बाई पुत्री गोपाल तथा वादी क्रम 2 का नाम संतोष पुत्री गोपाल के स्थान पर शांति पुत्री गोपाल अंकित करवाने के विधिक अधिकारी है।

यह कि विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादी राजकीय कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। उक्त त्रुटि सुधार हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी से निवेदन करने पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही नही हुई। इस परिस्थिति मे वादीगण के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नही है।

अतः वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष मे, विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय का निर्णय एवम् डिक्री पारित करने कर निवेदन किया है:-

(अ) यह कि ग्राम गोरधनपुरा पटवार हल्का खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 237 रकबा 2.77है. कुल किता 1 कुल रकबा 2.77है. भूमि मे वादी क्रम 1 का नाम धापू पुत्री गोपाल के स्थान पर शिला बाई पुत्री गोपाल तथा वादी क्रम 2 का नाम संतोष पुत्री गोपाल के स्थान पर शांति पुत्री गोपाल अंकित कर दिया जावे तद्नुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता एवम् वाद व्यय।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिये सम्मन करवायी गई। दिनांक 17.10.2024 को तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब सरकार पेश। जवाब सरकार में सरकार पैरोकार तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार में पटवारी खातौली की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता गोपाल पुत्र मूलचन्द 1/2 जाति परवा सा0 खातौली के नाम दर्ज थी जो विरासत के नाम0 सं0 198 से धापू पुत्री गोपाल, संतोष पुत्री गोपाल का नाम दर्ज हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम धापू व आधार, अन्य दस्तावेजों में दर्ज नाम शिलाबाई दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम संतोष व आधार अन्य दस्तावेजों में दर्ज नाम शांति जंगम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। पत्रावली वास्ते बहस में नियत की गई दौराने बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया गया। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत खातौली के सरपंच की रिपोर्ट के आधार पर धापू व शीला बाई और सन्तोष बाई व शांति जंगम एक ही व्यक्ति हैं। पत्रावली में प्रतिवादी के प्रस्तुत जवाब सरकार में जवाब सरकार में सरकार पैरोकार तहसीलदार पीपल्दा द्वारा वादी व जमाबंदी में दर्ज नाम एक ही होना बताया गया है। अतः वादी क्रम 1 का नाम धापू पुत्री गोपाल के स्थान पर शिला बाई पुत्री गोपाल तथा वादी क्रम 2 का नाम

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

संतोष पुत्री गोपाल के स्थान पर शांति पुत्री गोपाल अंकित कर खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यह कि ग्राम गोरधनपुरा पटवार हल्का खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 237 रकबा 2.77 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.77है. भूमि मे वादी क्रम 1 का नाम धापू पुत्री गोपाल के स्थान पर शिला बाई उर्फ धापू पुत्री गोपाल तथा वादी क्रम 2 का नाम संतोष पुत्री गोपाल के स्थान पर शांति उर्फ संतोष पुत्री गोपाल अंकित करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/1/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता (आर.ए.एस)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
23 / 2024	02.04.2024	10.01.2025

1. शिला बाई पुत्री गोपाल जाति पटवा निवासी खातोली तह० पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. शांति जंगम पुत्री गोपाल जाति पटवा निवासी खातोली तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

निर्णय

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल कुमार बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके कि यह कि ग्राम गोरधनपुरा पटवार हल्का खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 237 रकबा 2.77 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.77 है. भूमि मे वादी क्रम 1 का नाम धापू पुत्री गोपाल के स्थान पर शिला बाई उर्फ धापू पुत्री गोपाल तथा वादी क्रम 2 का नाम संतोष पुत्री गोपाल के स्थान पर शांति उर्फ संतोष पुत्री गोपाल के स्थान पर शांति पुत्री गोपाल अंकित करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 10/1/2025 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Raminivas

उपखण्ड अधिकारी

इटावा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा